मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
(संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, भोपाल)

क्रमांक ब्रिस्क/अंकेक्षण/संविसं/2012/1573 भोपाल दिनांक ~~जून 2012~~ 5-7-2012

//आदेश//

मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये इस विभाग के ज्ञाप क. एफ.11-1/94/आई.एफ/चार दिनांक 04-03-95 द्वारा स्वीकृत बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना के पैरा क. 14 में "ब्रिस्क" लेखे का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किये जाने का प्रावधान है एवं संपरीक्षा शुल्क का भुगतान ज़िला/राज्य स्तरीय ब्रिस्क खाते से किये जाने का प्रावधान है। इस व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए जि/राज्य स्तरीय ब्रिस्क प्रकोष्ठ के लेखों के अंकेक्षण हेतु निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है:-

1. जिला/राज्य स्तरीय ब्रिस्क प्रकोष्ठ के प्रथम 4 वर्ष की अवधि के लेखों का अंकेक्षण जिला/राज्य स्तरीय ब्रिस्क प्रकोष्ठ द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया जायेगा। 5वें वर्ष का अंकेक्षण स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किया जायेगा। संपरीक्षा प्रतिवेदन में पूर्व 4 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों को भी संज्ञान में लेते हुए विशिष्ट आपत्तियों को अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया जाये। जिला/राज्य स्तरीय ब्रिस्क प्रकोष्ठ द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा को पांचवें वर्ष के अंकेक्षण हेतु निर्धारित दर से वार्षिक शुल्क रू. 2,000/- का भुगतान शासकीय खाते में जमा किया जायेगा।

2. जिला/राज्य स्तरीय ब्रिस्क प्रकोष्ठ द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट को देय अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखा जाय कि वार्षिक अंकेक्षण शुल्क की राशि जिला ब्रिस्क प्रकोष्ठ में वर्ष के दौरान प्राप्त कुल राशि का 0.20 प्रतिशत (न्यूनतम रू. 500/- प्रतिवर्ष एवं अधिकतम रू. 2,000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अशोक शाह)
सचिव सह आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग/संस्थागत वित्त

प. कमांक ब्रिस्क/अंकेक्षण/संविसं/2012/1574 भोपाल दिनांक 5-7-2012 जून 2012

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., ग्वालियर।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, म.प्र., भोपाल।
7. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, अग्रणी बैंक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
8. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव सह आयुक्त

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग/संस्थागत वित्त